

उत्तराखण्ड सरकार को महंगा पड़ा महिला की पीठ से घास का गद्दर उतारना, 24 जुलाई को हैलंग में जुटेंगे राज्य भर के आंदोलनकारी

सलीम मलिक की रिपोर्ट

सुदूर पहाड़ की एक सीधी-साधी घसियारी की पीठ पर लदा घास का गद्दर उतारना राज्य सरकार के गले की फास भी बन सकता है। पंद्रह जुलाई को चमोली जिले के हैलंग इलाके में महिला से जोर-जबरदस्ती कर रहे पुलिसकर्मियों ने शायद ही सोचा हो। लेकिन प्रकृति की तरफ होरे से एक दिव पूर्व मंदोदरी देवी नाम की इस महिला के साथ हुई पुलिसिया बदसलूकी ने पूरे प्रदेश के लोगों को इतन उद्वेलित कर दिया कि यह मामला निकट भविष्य में सरकार के लिए बड़ी परेशानी के रूप में देखा जाने लगा है।

इस प्रकरण की पृष्ठभूमि की जानकारी के लिए बताते चलें कि उत्तराखण्ड के चमोली जिले में जोशीमठ शहर के पास टीएचडीसी की पीपलकोटी विष्णुगढ़ नाम की जल विद्युत परियोजना चल रही है। इसी परियोजना के लिए हैलंग नाम को एक जगह पर सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना को संचालित करने वाली कम्पनी के पास इस सुरंग से निकले मलवे को डंप करने के लिए जो स्थान उपलब्ध हैं, वहां मलवे का निपटारा करना खास महंगा है। इसलिए कम्पनी सुरंग के इस मलवे को अपनी सुविधानुसार सीधे-सीधे अलकनंदा नदी में डंप करने की सोच रही है। लेकिन मलवा खुलआप नदी के हवाले करने से होने वाले विवाद की वजह से कम्पनी ने बैकडोर का सहारा लेते हुए नदी के किनारे एक स्थान पर इस मलवे को डंप करना शुरू कर दिया जिससे भविष्य में यह मलवा बाढ़ आने पर खुद ही नदी में समा जाए। इस जगह पर गांव वाले अपनी चारागाह होने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि यह उनके पशुओं के लिए बच्ची हुई आखिरी चारागाह है। यदि इस जगह को भी मलवे से बरबाद कर दिया गया तो वह अपने पशुओं के लिए चारा पत्ती लेने कहां जायेंगे? इस मामले में जिला प्रशासन ने कम्पनी को सुविधा के लिए इस भूमि पर गांव के लिए खेल मैदान का निपटारा किए जाने की आड़ में यहां पर सुरंग का मलवा डाले जाने की अनुमति पहले ही दे दी है। लेकिन ग्रामीण अब भी इस जगह मलवा डाले जाने का विरोध कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि अधिकारीं ग्रामीण इस जोना के समर्थन में हैं और उन्होंने अपनी आनपत्ति प्रशासन को दे दी है। महज कुछ ही लोगों को सबक सिखाने और डाराने-धमकाने के लिए इस जगह पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के सशस्त्र जवानों के साथ जिले भर के सरकारी अमले को यहां तैनात कर दिया।

15 जुलाई को इसी गांव की तीन महिलाएं और एक पुरुष जिसमें मंदोदरी देवी, लीला देवी, संगता भंडारी और विपिन भंडारी शामिल थे, को इस जगह से चारा पत्ती लेकर हाइवे पर आते ही सीआईएसएफ और पुलिस के जवानों ने रोक लिया। इन जवानों ने ग्रामीणों से जबरन उनके चारा-पत्ती के गढ़ छीन लिए। इस दौरान मंदोदरी की इन जवानों से तीखी झड़प भी हुई। जबकि एक अन्य महिला इस बैबसी पर अपनी आंखों के कोर से निकले आंसू साफ करती नजर आई। स्तब्ध कर देने वाला यह दृश्य पब्लिश खबर के साथ वीडियो में है। महिलाएं अपना घास का गद्दर न छीने जाने की गुहार लगाती रहीं लेकिन घास लाने वाली महिलाओं के सम्मान में चुनाव से पूर्व घसियारी योजना लाने वाली पुष्कर सिंह धामी की ओर सरकार के इन जवानों के सामने यह घसियारी महिलाएं बैबस ही बनकर रह गई।

खाकी वर्दीधारियों ने न केवल इनके घास के गढ़ छीने बल्कि इन्हें खंखार मुजरिमों की तरह तहसीलदार की गाड़ी में भरकर सीधे जोशीमठ शहर के पुलिस थाने पहुंचा दिया गया। इन महिलाओं को छँ: घंटे तक पुलिस वाहन कर्सडी और थाने में बिठाने के बाद इनका पुलिस एक्ट के तहत 250-250 रुपये का चालान कर छोड़ा गया। इस मामले में जाशीमठ के थानाध्यक्ष विजय भारती का जो बयान आया है उसके अनुसार हैलंग में कुछ परिवारों की ओर से सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है। यहां खेल मैदान और अन्य विकास योजनाओं का निर्माण प्रस्तावित है। निर्माण कार्य के दौरान ये महिलाएं चारापत्ती लेने गई थीं। शांति व्यवस्था बनाने के लिए उन्हें वाहन से थाने में लाया गया। उन्हें हिंदायत देकर छोड़ दिया गया।

मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे उत्तराखण्ड की आंदोलनकारी ताकतें में उबाल आ गया है। पुलिसकर्मियों द्वारा महिलाओं से घास के गद्दर छीन जाने का मामला हैलंग से निकलकर राज्य की राजधानी देहरादून तक में तूल पकड़ने लगा है। उत्तराखण्ड महिला मंच सहित तमाम संगठन इसके खिलाफ लामबंद होने लगे हैं। देहरादून में उत्तराखण्ड महिला मंच संगठन ने इस घटना के विरोध में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। मंच का कहना है कि 15 जुलाई को जोशीमठ प्रखण्ड के हैलंग गांव में जंगल से घास लाई रही महिलाओं से न सिप्ही उनके घास के गढ़र छीनते पुलिस व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान दिख रहे हैं बल्कि वीडियो में ही दिखता है कि एक महिला रो रही है, दूसरी के ज्यादाता छापती हो रही है।

उन्होंने कहा कि यह दृश्य इस राज्य में, जो कि महिलाओं के आंदोलन के उनकी शहादत व कुबनियों के बदौलत बना, देखना बहुत शर्मनाक है तुर्भायपूर्ण है। इसकी काई सफाई नहीं हो सकती। महिला मंच की प्रदेश अध्यक्ष कमला पांते ने कहा कि उत्तराखण्ड में जल विद्युत परियोजनाओं के नाम पर हजारों हजार नाली नाप भूमि, जंगल, चारागाह की भूमि, पनघट, मरघट, पंचायत की भूमि, कम्पनियों को पहले ही दे दी गयी है। इसके बाद भी कम्पनियों की नीयत लोगों की सामूहिक हक-हकूक की भूमि को भी हड्डप लेने की है। इससे आप ग्रामीणों के सम्मुख घास चारा लकड़ी का संकर पैदा हो गया है। यह घटना इसी का परिणाम है। दूसरी तरफ बागेश्वर में भी सवाल संगठन ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर जोशीमठ के हैलंग में घास लेकर आ रहीं महिलाओं को रोकने की जांच करो दियी गयी है।

देहरादून के वरिष्ठ प्रकार त्रिलोचन भट्ट के अनुसार विष्णुगढ़ पीपलकोटी परियोजना के तहत हैलंग में सुरंग बनाने का कार्य कर रही कम्पनी द्वारा खेल मैदान बनाने के नाम पर जहां डम्पिंग जोन बनाया जा रहा है, वह इस गांव के लोगों चारागाह के तौर पर अंतिम विकल्प है। यहां इन लोगों ने जमीन पर व्यक्तिगत कर इस भूमि को हरा-भरा बना रखा है। लेकिन डम्पिंग जोन के नाम पर कम्पनी द्वारा यहां के हरे पेड़ काटकर चारागाह के इस अंतिम विकल्प को खत्म किया जा रहा है।

त्रिलोचन ने उत्तराखण्ड के राजकीय पर्व दोहे के अवसर पर यहां की हरियाली नष्ट करने और हरियाली के रक्षकों पोषकों के साथ भी बदसलूकी कर उन्हें गिरफ्तार करने को राज्य की विडब्ल्यु बताते हुए इस घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

इसके अलावा राज्य के तमाम आंदोलनकारी संगठनों ने हैलंग घटना के विरोध में हैलंग कूच का भी आह्वान किया है। समाजवादी लोक मंच के मुनीष कुमार ने बताया कि 24 जुलाई को प्रस्तावित इस कूच के दौरान व्यापक आंदोलन की रणनीति बनाइ जाएगी।

सुकमा जिले में नक्सल हमले के आरोपी बनाए गए 121 ग्रामीण एनआईए कोर्ट से दोषमुक्त

तामेश्वर सिन्हा

बस्तर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के बुर्कापाल में हुए नक्सल हमले के आरोपी बनाए गए 121 ग्रामीण दोषमुक्त घोषित कर दिए गए हैं। ये फैसला NIA की विशेष अदालत ने सुनाया है। NIA कोर्ट के न्यायाधीश दोपक कुमार देशलहरे की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। घटना अप्रैल 2017 की है। नक्सलियों ने बुर्कापाल में जवानों पर हमला कर दिया था। जिसमें 25 जवानों की शहादत हुई थी। घटना के आरोप में 2 महीने के अंदर 121 ग्रामीणों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। किसी को नक्सली तो किसी को नक्सल सहयोगी बताकर पकड़ा गया था। दंतेवाड़ा NIA कोर्ट में इसका ट्रायल के बाद फैसला आया है।

सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीणों की तरफ से इस केस की वकील बेला भाटिया

ने बताया कि, दंतेवाड़ा की NIA कोर्ट का बटालियन के पक्ष में आया है। साथ्य न मिलने पर 121 ग्रामीणों को दोषमुक्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बुर्कापाल का ये केस बस्तर का एक उदाहरण है यह बताने के लिए कि बस्तर में पुलिस की प्रक्रिया कैसे चलती है। साल 2017 की घटना थी।

2 महीने में 121 ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया और कई कठोर धाराएं लगाई गयी थीं। साल 2017 की घटना का ट्रायल साल 2021 को दंतेवाड़ा को NIA कोर्ट में हुआ।



दोषमुक्त कर दिया गया है।

दरअसल, 24 अप्रैल 2017 को सुकमा जिले के बुर्कापाल में CRPF की 74वीं बटालियन के जवान सड़क निर्माण सुरक्षा में निकले थे। जवान खाना खाने बैठे। पहले से घात लगाए नक्सलियों ने जवानों पर हमला कर दिया था। इस घटना में 25 जवानों की शहादत हुई थी और 7 जवान घायल हुए थे। जबकि एक माओवादी भी मारा गया था। पूरी घटना का वीडियो भी नक्सलियों ने साल भर बाद जारी किया था। मई और जून 2017 में बुर्कापाल और आस-पास के गांवों से 120 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया।

द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ लुलू

गिरिश मालवीय

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल टैक्स वैन देश के मैन आईटेंड में जीएनवाई एशिया फंड नाम की हेज फंड कंपनी चलाते हैं। यह 2016 में बनी है। इस कंपनी म